न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :–40/2018 (आर सी एम एस नम्बर 2018/00109)

व उनवानी प्रकरण :–

1. दुर्गसिहं पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील बाडी
2. देवी सिहं पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील बाडी
3. मौहर सिहं पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील बाडी
4. रतन सिहं पुत्र मूला जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील बाडी
5. निहाल सिहं पुत्र मूला जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील बाडी
6. हेम सिहं पुत्र मूला जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील बाडी
7. कल्यान पुत्र मूला जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील बाडी –अपीलान्टस्

बनाम

1. मौहर सिहं पुत्र गिरवर जाति कोली निवासी सौहांस तहसील बाडी ––रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार बाडी दिनांक 3.6.2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1/2018 उनवानी मोहर सिहं बनाम दुर्गसिहं वगैरा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्टस् की ओर से :– श्री शरीफ खान अभिभाषक ।
2. रेस्पोडेण्टस् की ओर से :– श्री एच. बी. गोयल अभिभाषक।

निर्णय दिनांक 21.12.2018

निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा यह अपील तहसीलदार बाडी के निर्णय दिनांक 3.6.2018 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 560 रकवा 4 विस्वा वाके ग्राम खानपुर तहसील बाडी पर हम अपीलान्टस् ने कोई नाजायज कब्जा नहीं किया है विवादित भूमि पर कब्जा छोटी कोली का है जिसने विद्याराम जाटव से दिनांक 11.8.2012 को कय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त छोटी को तलव किये बिना खण्डाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। छोटी की उक्त आराजी पर चारों ओर पक्की खण्डों की चार दीवारी बनी है बीच में आधे हिस्से में दो

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

झोपडी पडी है। जिनमें उक्त छोटी की रिहायश है झौपडी में खाट पडी है तथा आधी आराजी में खेती करता है इस प्रकार मौके पर छोटी का वास्तविक भौतिक कब्जा है। छोटी कोली द्वारा विवादित आराजी पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाडी में स्थाई निषेधाज्ञा के लिए उत्तरवादी के विरूद्ध वाद दायर किया हुआ है जिसमें उसके विरूद्ध टी आई आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। विवादित भूखण्ड आवादी भूमि की संज्ञा में आता है इसलिये इस पर धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण शून्य व निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट ने जो बयनामा विद्याराम से कराया है वह कतई गलत है आरम्भ से ही शून्य है। क्योंकि उससे पूर्व से इकरारनामा छोटी के हक में किया हुआ हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2014 की आर्डरशीट की नकल प्रस्तुत की गई है जिसमें दोनों पक्षों द्वारा राजस्व रिकोर्ड के अनुसार यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया हुआ होना स्वंय न्यायालय तहत ने स्वीकार किया है। अपीलान्टस् अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जो कि आरक्षित जाति में आते हैं इसलिये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के बीच धारा 183 बी की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है केवल आराजी से बेदखली का आदेश दिया है जो धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आता है। अपील बिना देरी पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.6.2016 निरस्त किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री एच. बी. गोयल अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया ।

अपीलान्टस् ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.6.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 26.4.2018 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, प्रमाणितत प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 6.10.2014 से 24.10.2017 तक न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रैट बाडी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र आर्डर 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बाडी पेश की ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकवा 4 विस्वा वाके ग्राम खानपुर तहसील बाडी पर अपीलान्टस् ने कोई नाजायज कब्जा नहीं किया है विवादित भूमि पर कब्जा छोटी

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कोली का है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त छोटी को तलब किये बिना विवादित आदेश देने में भारी त्रुटि की है। छोटी कोली द्वारा विवादित आराजी पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाडी में स्थाई निषेधाज्ञा के लिए रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध वाद दायर किया हुआ है विवादित भूखण्ड आवादी भूमि की संज्ञा में आता है इसलिये इस पर धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपीलान्टस् अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जो कि आरक्षित जाति में आते हैं इसलिये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के बीच धारा 183 बी की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.6.2016 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की आराजी है जिसे उसने विद्याराम व रामदेई से जरिये बयनामा कय किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट की आराजी पर अपीलान्टस् का कब्जा मानते हुए विवादित आराजी से कब्जा हटाने के आदेश दिये हैं। अपीलान्टस् ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया था कि उनका विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। अपीलान्टस् ने अपनी अपील में भी अकिंत किया है कि उनका विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। छोटी कोली का कब्जा है। जबकि छोटी ने सिविल न्यायालय में जो दावा पेश किया है उसमें अपना कब्जा होना नहीं बताकर बयनामा के वक्त कब्जा मिलने का कथन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि छोटी कोली का भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी पर यदि किसी भी व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो तुरन्त हटाया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण

की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवादित आराजी रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की आराजी है जिसे उसने विद्याराम व रामदेई से जरिये बयनामा कय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट की आराजी पर अपीलान्टस् का कब्जा मानते हुए विवादित आराजी से कब्जा हटाने के आदेश दिये हैं। जबकि अपीलान्टस् का कथन है कि उनका विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। इस तथ्य को अपीलान्टस् ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी रखा है तथा अपनी अपील में भी अकिंत किया है कि उनका विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। अपीलान्टस का यह कहना कि छोटी कोली का कब्जा है इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि छोटी ने सिविल न्यायालय में जो दावा पेश किया है उसमें अपना कब्जा होना नहीं बताकर बयनामा के वक्त कब्जा मिलने का कथन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि छोटी कोली का भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकवा 4 विस्वा वाके ग्राम खानपुर तहसील बाडी पर अपीलान्टस् ने कोई कब्जा नहीं है ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार बाडी को निदेशित किया जाता कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकवा 4 विस्वा वाके ग्राम खानपुर तहसील बाडी पर यदि किसी भी व्यक्ति का नाजायज कब्जा पाया जावे तो तुरन्त कब्जा हटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एन. एम. पहाड़िया)
जिला कलक्टर धौलपुर